न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) नागौर

बइजलास—रामजस बिश्नोई (आर.ए.एस.)

राजस्व संख्या :— 38/2018

वादीगण	प्रतिवादीगण
1. बाबुनाथ पुत्र भीकानाथ 2. नारायणनाथ पुत्र आईदाननाथ 3. जयरामनाथ पुत्र प्रभुनाथ 4. चेननाथ पुत्र मुकननाथ जातियान नाथ निवासीगण झुंझाला तहसील जायल जिला नागौर	1. छोटूनाथ पुत्र मूलनाथ 2.. दयालनाथ पुत्र मूलनाथ 3. इन्द्रनाथ पुत्र मूलनाथ 4. बीरमनाथ पुत्र मूलनाथ 5. लूणनाथ पुत्र भंवरनाथ 6. शांति पत्नी भंवरनाथ 7. राजूनाथ पुत्र दीनानाथ 8. भींयानाथ पुत्र दीनानाथ 9. मंछानाथ पुत्र दीनानाथ 10. पांचूनाथ पुत्र दीनानाथ 11. जेतनाथ पुत्र भीकानाथ 12. नाथूनाथ पुत्र भीकानाथ (फौत) के कायम मुकाम 12.1 सुशीला पत्नी नाथूनाथ 12.2 मंगलनाथ पुत्र नाथूनाथ 12.3 मनफूल पुत्र नाथूनाथ 12.4 धन्नी पुत्री नाथूनाथ 12.5 विनोद पुत्री नाथूनाथ 13. ओमनाथ पुत्र भीकानाथ 14. श्रवणनाथ पुत्र भीकानाथ 15. हरजीनाथ पुत्र भंवरनाथ 16. पतासी पत्नी भंवरनाथ 17. मदननाथ पुत्र सुखानाथ 18. बनानाथ पुत्र सुखानाथ 19. अणदानाथ पुत्र पूनानाथ 20. जवाननाथ पुत्र पूनानाथ 21. खींयानाथ पुत्र पूनानाथ 22. गणपतनाथ पुत्र आईदाननाथ 23. भगवाननाथ पुत्र हुकमनाथ 24. कालूनाथ पुत्र गुलाबनाथ 25. सुभाषनाथ पुत्र प्रकाशनाथ 26. प्रकाशनाथ पुत्र हुकमनाथ 27. ओमनाथ पुत्र हुकमनाथ 28. पुसी पत्नी हुकमनाथ 29. हरीनाथ पुत्र काननाथ 30. सुरेशनाथ पुत्र पदमनाथ 31. रमेशनाथ पुत्र पदमनाथ 32. मोहनी पत्नी काननाथ 33. हरकू पत्नी किशोरनाथ

16.12.20
सहायक कलक्टर (मु.)
नागौर

	34. सुरेन्द्र पुत्र शिम्भूनाथ 35. लालनाथ पुत्र जालनाथ 36. गुटानाथ पुत्र जालनाथ 37. सुमेरनाथ पुत्र धन्नानाथ 38. पतासी पत्नी जालनाथ 39. समन्दरनाथ पुत्र प्रभूनाथ 40. हरीनाथ पुत्र भूरनाथ 41. रेंवतनाथ पुत्र भूरनाथ 42. देवीनाथ पुत्र केसूनाथ 43. जगदीशनाथ पुत्र केसूनाथ 44. हड़माननाथ पुत्र केसूनाथ 45. गोरखनाथ पुत्र ईशरनाथ (फौत) के कायममुकाम 45.1 रामनाथ पुत्र गोरखनाथ 46. श्रवणनाथ पुत्र तारानाथ 47. प्रहलादनाथ पुत्र तारानाथ 48. शैताननाथ पुत्र धन्नानाथ 49. जगदीशनाथ पुत्र धन्नानाथ 50. शिवजीनाथ पुत्र मुकननाथ 51. मंगलनाथ पुत्र हंसानाथ 52. बस्तीनाथ पुत्र मुकननाथ 53. नेमनाथ पुत्र तेजनाथ 54. पारसनाथ पुत्र तेजनाथ 55. ओंकारनाथ पुत्र तेजनाथ 56. डूंगरनाथ पुत्र भंवरनाथ 57. बालकनाथ पुत्र भंवरनाथ सभी जातियान नाथ निवासीगण झुझाला तहसील मूण्डवा जिला नागौर। 58. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार मूण्डवा।

वकील वादीगण
श्री रामकिशोर मूण्डेल

वकील प्रतिवादीगण
श्री हरदेवराम्

वाद बाबत् घोषणा खातेदारी, बंटवाड़ा खेताय व स्थाई निषेधाज्ञा
अधीन धारा 88, 53 व 188 आर.टी.एक्ट

निर्णय दिनांक :– 16.12.2020

1. वादीगण द्वारा वाद पेश किया गया कि :–
   1. कि वादीगण सं. 1 से 4 व प्रतिवादी सं. 1 से 57 तमाम ग्राम झुंझाला तहसील जायल के स्थाई निवासी हैं तथा गांव झुंझाला में परिवार सहित निवास कर कृषि कार्य करते आये हैं जिससे कृषि भूमि संलग्न जमाबंदी राजस्व रेकर्ड सहखातेदार दर्ज होते रहे हैं।

16/12/20
सहायक कलेक्टर (मु.)
नागौर

2. कि जमाबंदी सम्वत 2071 से 2074 तक की गांव गोठड़ा भू0अ0नि0 क्षेत्र कुचेरा तहसील मूण्डवा में काश्तकार में वर्णित निम्न व्यक्तियों का अलग–अलग समय में देहांत हो गया हैं :– जड़ाव पत्नी मूलनाथ, दीनानाथ पुत्र मूलनाथ, भीखनाथ पुत्र मूलनाथ, सुखानाथ पुत्र कुनाराम, भंवरी पत्नी आईनादनाथ, गुलाबनाथ पुत्र हुकमनाथ, प्रकाशनाथ पुत्र हुकमनाथ, पदमनाथ पुत्र काननाथ, किशोरनाथ पुत्र जालनाथ, शिम्भूदान पुत्र जालनाथ, धन्नानाथ पुत्र जालनाथ, चन्द्र पत्नी जालनाथ, भूरनाथ पुत्र ईशरनाथ, केसूनाथ पुत्र ईशरनाथ, तारानाथ, धनानाथ, हंसानाथ पिता मुकननाथ, सुगनाई पत्नी तेजनाथ, भंवरनाथ पुत्र अलखनाथ सहखातेदार उक्त तमाम का देहान्त होने से उनके उत्तराधिकारियों को वाद पत्र में प्रतिवादीगण के रूप में संयोजित कर वाद पेश किया जा रहा हैं, क्योंकि उक्त व्यक्तियों की मृत्यू की सूचना प्रतिवादी तहसीलदार को देने के बावजूद भी उनके वारिशान का रेकर्ड में नामान्तरकरण नहीं किया गया हैं, इसलिए सभी प्रतिवादीगण सहखातेदारों को पक्षकार बना कर यह दावा पेश किया जा रहा हैं।
3. यह हैं कि गांव गोठड़ा तहसील मूण्डवा में वादीगण प्रतिवादीगण की सहखातेदारी संयुक्त कब्जे काश्त की राजस्व कृषि भूमि पुश्तैनी समय की बडेरों के काल कीहाल ख.नं. 35 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा, ख.नं. 177 रकबा 9 बीघा 03 बिस्वा, ख.नं. 208 रकबा 5 बीघा 19 बिस्वा, ख.नं. 236 रकबा 12 बीघा 10 बिस्वा, ख.नं 237 रकबा 9 बीघा 6 बिस्वां, ख.नं. 238 रकबा 9 बीघा 01 बिस्वा, ख.नं. 241 रकबा 8 बीघा 18 बिस्वा, ख.नं. 242 रकबा 10 बीघा 11 बिस्वां, ख.नं. 243 रकबा 10 बीघा 08 बिस्वा, ख.नं. 244 रकबा 10 बीघा 10 बिस्वा, ख.नं. 245 रकबा 12 बीघा 7 बिस्वा, ख.नं. 247 रकबा 8 बीघा 10 बिस्वा, ख.नं. 248 रकबा 7 बीघा 04 बिस्वा, ख.नं. 249 रकबा 8 बीघा 16 बिस्वां की भूमि राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज होकर रहती चली आई हैं।
4. कि पक्षकारान ने अपनी कुल पुश्तैनी सहखातेदारी की कृषि भूमि का विभाजन सम्वत 2070 में करके अलग अलग खसरा में काबिज होकर अलग अलग कब्जा काश्त शुरू कर दिया जिससे रेकर्ड में अलग अलग खातेदारी दर्ज नहीं करने व काश्कतकार दर्ज होने में सुविधाजनक बनाने के लिए यह वाद विभाजन खातेदारी अधिकार अभिलेख व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु पेश करना लाजमी होने से यह वाद पेश किया जा रहा है। बंटवाड़ा स्कीम निम्नानुसार हैं :–
    1. कि खेत हाल ख.नं. 35 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा को बंट कब्जा काश्त खातेदारी हक में प्रतिवादी सं. 3 व 4 इन्द्रनाथ, बीरमनाथ पुत्रगण मूलनाथ के रखा गया हैं।
    2. कि खेत हाल ख.नं. 177 रकबा 9 बीघा 03 बिस्वा को कब्जा काश्त खातेदारी हक बंट में वादी चेननाथ के रखा गया हैं।
    3. कि खेत हाल ख.नं. 208 रकबा 5 बीघा 19 बिस्वां कब्जा काश्त खातेदारी हक व बंट में प्रतिवादी देवीनाथ, जगदीशनाथ व हड़माननाथ के रखा गया हैं।

16/12/20
सहायक कलक्टर (मु.)
नागौर

4. कि खेत हाल ख.नं. 236 रकबा 12 बीघा 10 बिस्वां बंट कब्जा काश्त खातेदारी हक में प्रतिवादी श्रवणनाथ, प्रहलादनाथ के रखा गया हैं।
5. कि खेत हाल ख.नं. 237 रकबा 9 बीघा 06 बिस्वा को बंट कब्जा काश्त खातेदारी हक में वादी जयरामनाथ के बंट में रखा गया हैं।
6. कि खेत हाल ख.नं. 238 रकबा 9 बीघा 1 बिस्वा को बंट कब्जा काश्त खातेदारी हक में वादी बाबुनाथ व प्रतिवादी जेतनाथ, नाथूनाथ, ओमनाथ, श्रवणनाथ के शामिल रखा गया हैं।
7. कि खेत हाल ख.नं. 241 रकबा 8 बीघा 18 बिस्वां बंट कब्जा काश्त व खातेदारी हक में सार्वजनिक रूप से गायों के चरने के लिए शामलाती रूप में रखा गया हैं।
8. कि खेत हाल ख.नं. 242 रकबा 10 बीघा 11 बिस्वा को बंट कब्जा काश्त खातेदारी हक में प्रतिवादी गोरखनाथ के रखा गया हैं।
9. कि खेत हाल ख.नं. 243 रकबा 10 बीघा 8 बिस्वां को बंट कब्जा काश्त हक खातेदारी में प्रहलादनाथ के रखा गया हैं।
10. कि खेत हाल ख.नं. 244 रकबा 10 बीघा 10 बिस्वां को बंट कब्जा काश्त हक खातेदारी में प्रतिवादी बालकनाथ के रखा गया हैं।
11. कि खेत हाल ख.नं. 245 रकबा 12 बिघा 7 बिस्वा को बंट कब्जा काश्त खातेदारी हक में वादी चेननाथ को रखा गया हैं।
12. कि खेत हाल ख.नं. 247 रकबा 8 बीघा 10 बिस्वा को बंट कब्जा काश्त खातेदारी हक में वादी नारायणनाथ के रख गया हैं।
13. कि खेत हाल ख.नं. 248 रकबा 7 बीघा 4 बिस्वा को बंट कब्जा काश्त खातेदारी हक में प्रतिवादी रमेशनाथ व सुरेशनाथ के रखा गया हैं।
14. कि खेत हाल ख.नं. 249 रकबा 8 बीघा 16 बिस्वा को बंट कब्जा काश्त खातेदारी हक में वादी जयरामनाथ के रखा गया हैं।

5. कि बिनाय वाद बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण के मुतदाविया कृषि भूमि का राजस्व रेकर्ड में वादीगण व प्रतिवादीगण की सहखातेदारी में नाम इन्द्राज माफिक तमाम खेताय का बाहामी बंट मिति चेत सुदी पूनम सम्वत 2070 को करके अलग अलग मौके पर काश्त करसण कर खातेदारी हक कर लिये व प्रतिवादी सं. 57 को इतला के उपरांत भी खातेदारी का राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज नहीं करने से आपसी सहखातेदार का रेकर्ड का उपयोग, अन्तरण, रहन आदि की असुविधा होने से विभाजन करना न्याय संगत होने से वादकरण बमुकाम गोठड़ा तहसील मूण्डवा में पैदा होने से दावा पेश हैं।

2. उक्तानुसार दावा पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। दिनांक 02.08.2018 को प्रतिवादी सं. 1, 3 से 6, 8, 10 से 21, 23 से 25, 27 से 38, 42 से 48, 50 से 52, 56 का वकालातनामा वकील श्री हरदेवराम ने पेश किया। प्रतिवादी सं. 57 तहसीलदार मूण्डवा का नोटिस दिनांक 18.07.18 को तामिल होकर

16/12/20
सहायक कलक्टर (मु.)
नागौर

प्राप्त हुआ। शेष प्रतिवादीगण 2, 7, 9, 22, 39, 40, 41, 49 व 53 से 56 के विरूद्ध दिनांक 17.12.2018 को एक तरफा कार्यवाही की गई। प्रतिवादीगण की ओर से कोई जवाब दावा पेश नहीं किया गया।

3. गवाह :–

1 वादी सं. 2 नारायणनाथ ने दिनांक 24.01.19 को अपना शपथ–पत्र अधीन आदेश 18 नियम 4 सीपीसी का (प्रदर्श–5) पेश किया तथा मुख्य परीक्षण में कहा कि "हमारी सहखातेदारी की पुश्तैनी जमीन ग्राम गोठड़ा की सरहद में ख.नं. 35, 177, 208, 236, 237, 238, 241, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 249 की कुल रकबा 126 बीघा 19 बिस्वा की रहती चली आई हैं। हमारे सहखातेदार श्रीमती जड़ाव, दीनानाथ, भीकनाथ, सुखानाथ, भंवरी, गुलाबनाथ, प्रकाशनाथ, पदमनाथ, किशोरनाथ, शिम्भूनाथ, धन्नानाथ, चन्द्री, भूरनाथ, केसुनाथ, तारानाथ, पन्नानाथ, हसानाथ, सुगनाई, भंवरनाथ का देहान्त अलग–अलग समय में हो चुका हैं। उनके उत्तराधिकारियों को वाद में पक्षकार बना कर यह दावा पेश किया गया हैं। इन व्यक्तियों की सूचना तहसीलदार को दी, मगर म्यूटेशन नहीं हुआ हैं। हम सभी पक्षकारान वादीगण व प्रतिवादीगण ने हमारी कुल पुश्तैनी सहखातेदारी की कृषि भूमि बंटवाड़ा मौखिक रूप से चैत्र सुदी पूनम सम्वत 2070 को कर वाद के पैरा नं. 4 के अनुच्छेद सं. 1 से 14 के अनुसार मौके पर अलग–अलग काबिज हो गये। इसी प्रकार मौके पर हमारा कब्जा हैं। वाद के साथ जमाबंदी दावे वाले खेतों की प्रदर्श–1 दावे वाले खेतों का नक्शा प्रदर्श–2 हैं। वादग्रस्त खेतों का मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–3 हैं। दावे वाले खेतों की जमाबंदी सम्वत 2023 से 2026 की प्रदर्श–4 हैं। वाद में साक्ष्य का शपथ–पत्र प्रदर्श–5 हैं जिस पर X स्थान पर मेरा अंगूठा निशानी हैं। यह शपथ–पत्र मेने पढ सुन कर समझकर हस्ताक्षर किये हैं। माफिक वाद बंटवाड़ा किया जावे।"

2 चैननाथ पुत्र मुकननाथ (वादी सं. 4) का शपथ–पत्र प्रदर्श–6 हैं तथा मुख्य परीक्षण दिनांक 24.01.19 में अंकित कराया कि "मुझ वादी के साक्ष्य का शपथ–पत्र पढ सुन कर समझ लिया हैं, जो सही होना स्वीकार हैं। साक्ष्य का शपथ पत्र प्रदर्श–6 हैं, जिस पर X स्थान पर मेरा अंगूठा निशानी हैं। साक्ष्य के शपथ पत्र का पैरा नं. 1, 2 व 3 पढ कर हम सहखातेदार व हमारी कृषि भूमि के बारे में समझ लिया हैं। हमारी कृषि भूमि का बंटवाड़ा सम्वत 2070 की चैत्र सुदी पूनम को किया, जो पैरा संख्या 4 के अनुच्छेद 1 से 14 के अनुसार बंट कर हम मौके पर काबिज हैं। माफिक वाद हमारा बंटवाड़ा किया जावे।"

3 प्रदर्श–7 गवाह बाबुनाथ पुत्र भीखानाथ (वादी सं. 1) का शपथ–पत्र हैं और उन्होने अपने मुख्य परीक्षण दिनांक 31.01.19 में अंकित कराया कि "गवाह का शपथ–पत्र प्रदर्श–7 पढ सुन समझाकर बताया जिस पर A से B अपने स्वयं के हस्ताक्षर होना स्वीकार किया। वादग्रस्त खेताय का हमारा आपसी विभाजन सम्वत

16.12.20
सहायक कलक्टर (मु.)
नागौर

2070 की चैत्र सुदी पूनम को कर लिया। शपथ–पत्र के पैरा 4 के अनुच्छेद 1 से 14 के अनुसार बंट होना स्वीकार किया। माफिक वाद बंटवाड़ा किया जावे।"

4 प्रदर्श–8 जयरामनाथ पुत्र प्रभूनाथ (गवाह वादी सं. 3) का शपथ–पत्रं हैं, जिन्होने अपने मुख्य परीक्षण दिनांक 31.01.19 में अंकित कराया कि नोट– गवाह का शपथ–पत्र प्रदर्श–8 हैं, जो पढ सुन समझकर सही होना स्वीकार किया। वादग्रस्त खेताय का हमारे आपसी विभाजन सम्वत 2070 को चैत्र सुदी पूनम को कर लिया। शपथ–पत्र के पैरा सं. 4 के अनुच्छेद 1 से 14 के अनुसार बंट होना स्वीकार किया। माफिक वाद बंटवाड़ा किया जावे।"

5 प्रदर्श–9 बीरमनाथ पुत्र मूलनाथ (प्रतिवादी सं. 4) का शपथ–पत्र हैं जिसके मुख्य परीक्षण दिनांक 31.01.19 में उन्होंने अंकित कराया कि "गवाह का शपथ–पत्र प्रदर्श–9 हैं। पढ सुन समझ कर बताया जिसे सही होना स्वीकार किया तथा हस्ताक्षर भी होना स्वीकार किया। वादग्रस्त खेताय का हमारे आपसी विभाजन सम्वत 2070 की चैत्र सुदी पूनम को कर लिया व शपथ–पत्र के पैरा सं. 4 के अनुच्छेद 1 से 14 के अनुसार बंट होना स्वीकार किया। माफिक वाद बंटवाड़ा किया जावे।"

6 प्रदर्श–10 हड़माननाथ पुत्र केसूनाथ (प्रतिवादी सं. 44) का शपथ पत्र हैं जिसके मुख्य परीक्षण दिनांक 31.0119 में उन्होनें लिखाया कि " गवाह का शपथ–पत्र प्रदर्श–10 हैं। शपथ–पत्र पर मेरे हस्ताक्षर अंगूठा निशान X हैं, जो मेने पढ सुन समझकर अंगूठा निशान किया जो सही हैं। हमारे आपसी बंटवाड़ा सम्वत 2070 की चैत्र सुदी पूनम को कर के मौके पर काबिज हो गये। बंटवाड़ा शपथ–पत्र के अनुच्छेद 4 के पैरा सं. 1 से 14 के अनुसार किया हैं, जो सही व स्वीकार हैं। माफिक वाद बंटवाड़ा किया जावे।"

4. वादी नारायणनाथ नें दिनांक 19.11.20 को प्रार्थना पत्र अधीन आदेश 22 नियम 4 सोपीसी का पेश किया जिसकी प्रति वकील प्रतिवादी को दी गई जिस पर उन्होंने कोई आपत्ति नहीं होना अंकित किया। अतः प्रार्थना पत्र अनुसार प्रतिवादी सं. 12 नाथुनाथ पुत्र भीकानाथ का देहान्त 07.09.20 को व प्रतिवादी सं. 45 गोरखनाथ पुत्र इश्वरनाथ का देहान्त दिनांक 28.09.20 को होने से उनके कायम मुकाम को रेकर्ड पर लिया जावे। बाद बहस मृतक के कायम मुकाम को रेकर्ड पर लिया गया।

5. इस वाद में प्रतिवादीगण की ओर से कोई जवाब पेश नहीं किया। प्रतिवादी सं. 44 हड़मानाथ ने दावे के अनुसार सह खातेदारी भूमि का बंटवाड़ा होना अपने बयान में स्वीकार किया हैं। वकील प्रतिवादी ने भी अपनी बहस में दावे के अनुसार बंटवाड़ा की डिक्री जारी करने में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं जताई।

हमने प्रस्तुत वाद दस्तावेज व गवाहों पर गौर किया तथा पत्रावली का गहन अध्ययन किया। आपसी सहमति स्वरूप वादग्रस्त भूमि का बंटवाड़ा निम्नानुसार किया जाता हैं:–

16.12.20
सहायक कलक्टर (मु.)
नागौर

1. कि खेत हाल ख.नं. 35 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा को बंट कब्जा काश्त खातेदारी हक में प्रतिवादी सं. 3 व 4 इन्द्रनाथ, बीरमनाथ पुत्रगण मूलनाथ के रखा गया हैं।
2. कि खेत हाल ख.नं. 177 रकबा 9 बीघा 03 बिस्वा को कब्जा काश्त खातेदारी हक बंट में वादी चेननाथ के रखा गया हैं।
3. कि खेत हाल ख.नं. 208 रकबा 5 बीघा 19 बिस्वां कब्जा काश्त खातेदारी हक व बंट में प्रतिवादी देवीनाथ, जगदीशनाथ व हड़माननाथ के रखा गया हैं।
4. कि खेत हाल ख.नं. 236 रकबा 12-बीघा 10 बिस्वां बंट कब्जा काश्त खातेदारी हक में प्रतिवादी श्रवणनाथ, प्रहलादनाथ के रखा गया हैं।
5. कि खेत हाल ख.नं. 237 रकबा 9 बीघा 06 बिस्वा को बंट कब्जा काश्त खातेदारी हक में वादी जयरामनाथ के बंट में रखा गया हैं।
6. कि खेत हाल ख.नं. 238 रकबा 9 बीघा 1 बिस्वा को बंट कब्जा काश्त खातेदारी हक में वादी बाबुनाथ व प्रतिवादी जेतनाथ, नाथूनाथ, ओमनाथ, श्रवणनाथ के शामिल रखा गया हैं।
7. कि खेत हाल ख.नं. 241 रकबा 8 बीघा 18 बिस्वां बंट कब्जा काश्त व खातेदारी हक में सार्वजनिक रूप से गायों के चरने के लिए शामलाती रूप में रखा गया हैं।
8. कि खेत हाल ख.नं. 242 रकबा 10 बीघा 11 बिस्वा को बंट कब्जा काश्त खातेदारी हक में प्रतिवादी गोरखनाथ के रखा गया हैं।
9. कि खेत हाल ख.नं. 243 रकबा 10 बीघा 8 बिस्वां को बंट कब्जा काश्त हक खातेदारी में प्रहलादनाथ के रखा गया हैं।
10. कि खेत हाल ख.नं. 244 रकबा 10 बीघा 10 बिस्वां को बंट कब्जा काश्त हक खातेदारी में प्रतिवादी बालकनाथ के रखा गया हैं।
11. कि खेत हाल ख.नं. 245 रकबा 12 बिघा 7 बिस्वा को बंट कब्जा काश्त खातेदारी हक में वादी चेननाथ को रखा गया हैं।
12. कि खेत हाल ख.नं. 247 रकबा 8 बीघा 10 बिस्वा को बंट कब्जा काश्त खातेदारी हक में वादी नारायणनाथ के रख गया हैं।
13. कि खेत हाल ख.नं. 248 रकबा 7 बीघा 4 बिस्वा को बंट कब्जा काश्त खातेदारी हक में प्रतिवादी रमेशनाथ व सुरेशनाथ के रखा गया हैं।
14. कि खेत हाल ख.नं. 249 रकबा 8 बीघा 16 बिस्वा को बंट कब्जा काश्त खातेदारी हक में वादी जयरामनाथ के रखा गया हैं।

उपर्युक्तानुसार डिक्री जारी की जाती हैं। रेकर्ड में अमल दरामद हेतु इस निर्णय व डिक्री की प्रति तहसीलदार मूण्डवा को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 16.12.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनवाया गया।

16.12.20

(रामजस बिश्नोई)
आर.ए.एस.
सहायक कलेक्टर (मु.) नागौर